तार का पताः ''मिनीस्टील''

Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सूचना का अधिकार

सं० ______________

No. ______________

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

उद्योग भवन

UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

F.No.31016/2/2013-AD(G) दिनाकं 08th /02/2013

सेवा में,

संन्लग सूची के अनुसार

विषयः-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2013-14 में पेस्ट कन्ट्रोल एवं फर्श (टाईल की सफाई) के लिये मुहरबंद निविदाये मंगाने के सम्बंध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है। तो **मुहरबंद** निविदांए दिनाकं 19.02.2013 को सुबह 3.00 बजे तक कक्ष सं. 64, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं कों उसी दिन सुबह 03.30 बजे आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाऐगा । निविदा के साथ 5,000/- रूपये का बैक ड्राफ्ट (वेतन एंव लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के नाम देय होगा) बैक ड्राफ्ट अवश्य सलंग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिक्ारी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

भवदीय,

(सरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति_: NIC, इस्पात मत्रांलय की website पर दर्शाने के अनुरोध के साथ ।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हिन्दी का प्रयोग उपेक्षित नहीं है, पत्र का उत्तर शीघ्र दिया जायेगा।

31016/2/2013-मा०प्र०

शर्तें:-

1. कीटनाशिक दवाई का छिडकाव कक्षो,गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा

2. अनुबन्धकर्ता फर्म को कीटनाश्ी छिडकाव से सम्बधित सभी मशीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओ/पदार्था के नामो का उल्ल्ेख करना होगा ।

3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रो को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे । किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रलय द्वारा वहन नही किया जायेगा ।

4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उतरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।

5. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रूपये का डिमाड ड्राफट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा ।

6. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।

7. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।

8. अनुबंध की **अवधि** अनुंबध की अवधि अनुंबघ पत्र देने की तारीख से **एक बर्ष** तक के लिये होगी । **तथपि यदि सेवाए पूर्णता : संतोष जनक पाई गई तो अगले दो साल तक प्रतिवर्ष सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से आगे बढाई जा सकती है** ।

9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।

10. यह छिडकाव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयों के दिन/शनिवार आदि को कार्यलय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा । प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिडकाव हो जाये ।

11. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा ।

12. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्कता हो तो ।

13. फर्म को एक प्रमाण देना होगा कि वह अन्य किसी भी मंत्रालय/विभाग में इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत दरों से कम दरों पर कार्य नही कर रही है ।

8/2/13

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
भारत सरकार/Govt. of india
नई दिल्ली/New Delhi

क्र.सं.	मद	दरे (प्रति वर्ग फुट)
1.	विट्रिफाइड टाईल सफाई पालिश सहित	---------------
2.	काजरिया टाईल सफाई पालिश सहित	----------------
3.	पेस्ट कन्ट्रोल	------------------

9/1/13

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
भारत सरकार/Govt. of india
नई दिल्ली/New Delhi